



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062020-220223
CG-DL-E-27062020-220223

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1857]
No. 1857]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ़ 5, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASHADHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

का.आ. 2101(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उप मंडल अधिकारी (सिविल), मंडी (NH70) के कि.मी 224 से 264.96 हिमाचल प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH70 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उप मंडल अधिकारी (सिविल), मंडी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH70 के कि.मी. 224 से 264.96 तक	हिमाचल प्रदेश	मंडी	कोटली	1 बूहनली सरवाडी (27)

[फा. सं. RW/NH-12014/853/2014/HP/NH-I]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2020

S.O. 2101(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 224 to 264.96 of Sub Divisional Officer (Civil), Mandi (NH70) in the State of HIMACHAL PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH70 in the State of HIMACHAL PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Officer (Civil), Mandi	224KM To 264.96KM	HIMACHAL PRADESH	MANDI	Kotli	1 Buhnli Sarwari (27)

[F. No. RW/NH-12014/853/2014/HP/NH-I]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.